

5. आयु सीमा:-

- सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 होगी।
- प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट-ऑफ-तिथि 01.08.2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 01.08.2023 को 21 वर्ष है।
- अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।
- वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

(क) आयु सीमा में छूट:-

इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक-01.08.2023 को आधार मानकर देय होगी,

परन्तुक-

- माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 (विज्ञापन संख्या-373/2019) में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 01.08.2019 को आधार मानकर देय होगी। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2022 (विज्ञापन संख्या 01/2023) में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 01.08.2022 के कट-ऑफ-डेट के अनुसार गणना की जायेगी।
- माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कम्प्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 08 (आठ) वर्ष की छूट दिनांक-01.08.2019 का आधार मानकर देय होगी।
- पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

> लिखित परीक्षा:-

(i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अहर्ता)	100 भाग-I-25 एवं भाग-II-75	02 घंटे	100 भाग-I-25 एवं भाग-II-75	प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। > यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II > भाग-I- अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान (Common) होगा। > भाग-II- हिन्दी भाषा/उर्दू भाषा/बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। > इस पत्र का अहर्ताक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
2.	सामान्य अध्ययन	120	02 घंटे	120	प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 1-5)। > इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। > सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा।
3.	विषय एवं सामान्य	120	02 घंटे	120	माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 9-10)। > यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
	अध्ययन	भाग-I-80 एवं भाग-II-40		भाग-I-80 एवं भाग-II-40	➤ भाग-I- एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। ➤ विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।
4.	विषय एवं सामान्य अध्ययन	120 भाग-I-80 एवं भाग-II-40	02 घंटे	120 भाग-I-80 एवं भाग-II-40	उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 11-12) ➤ यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II ➤ भाग-I- एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, बनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। ➤ विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।

- सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक (निगेटिव मार्किंग) अंक दिये जायेंगे।
- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या- 2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक- 6706, दिनांक-01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जायेंगे।
- अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

➤ **साक्षात्कार:-**

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

- **मेधा सूची:-** लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

➤ **अधिमानता:-**

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित